संख्याः /X-4-18/1(422)/2015

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर,
फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 03 अक्टूबर, 2018

विषयः जनपद हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग–74 के हरिद्वार–नगीना सेक्शन के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 30.00 तक मोटर मार्ग के 4–लेन में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 64.748 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–126/X–4–17/1(422)/2015 दिनांक 03.10.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के शर्त संख्या'–22 के स्थान पर निम्न व्यवस्था रख दी जायः–

''जनपद हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग–74 के हरिद्वार–नगीना सेक्शन के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 30.00 तक मोटर मार्ग के 4 लेन में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) को 64.748 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष देय वन भूमि के मूल्य (premium) की देयता रू0 8,47,98,70,000 (आठ अरब सैंतालीस करोड़ अठानवे लाख सत्तर हजार) रू0 से छूट प्रदान करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 03.10. 2017 में उल्लिखित शर्त संख्या–22 को शिथिल/निरस्त किया जाता है। यह छूट मात्र एक बार के लिए उक्त प्रकरण हेतु प्रदान की जाती है, जिसे भविष्य में अन्य किसी प्रकरण में नजीर के रूप में नहीं समझा जाय।''

2– शासनादेश संख्या–126/X–4–17/1(422)/2015 दिनांक 03.10.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव

संख्याः 966 (1)/X-4-18/1(422)/2015 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव,/सचिव लोक निर्माण विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त देहरादून।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग।
7. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हाउस न0–5 लेनसं0–4 तेगबहादुर मार्ग देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।